Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 01, Issue 01

DOI: 10.46523/jarssc.01.01.15
Multidisciplinary, Open Access

नारी सशक्तीकरण एवं उसकी सार्थकता

डॉ0 अर्चना मिश्रा

असिस्टेंट प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग) शिया पी0जी0 कालेज, लखनऊ

'महिला सशक्तीकरण' के विषय में जानने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम सशक्तिकरण से क्या समझते हैं ? सशक्तिकरण से तात्पर्य – किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके कारण उसमें ये योग्यता आ जाती है जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय ले सके। महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं– जहाँ महिलाएँ परिवार व समाज के सभी बन्धनों से मुक्त होकर अपने जीवन के सभी निर्णयों की निर्माता वह खुद हों।

भारत एक प्रसिद्ध देश है। जिसमें विविधता में एकता के मुहावरे के साबित किया है, जहाँ भारतीय समाज में विभिन्न धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। महिलाओं को हर धर्म में एक अलग स्थान दिया गया है, जो लोगों की आँखों में ढके हुए बड़े पर्दे के रूप में और कई वर्षो से आदर्श के रूप में महिलाओं के खिलाफ कई सारे गलत कार्य को जारी रखने में मदद कर रहा है। गाँधीजी ने कहा था कि– ''स्त्रियों के अधिकार के सवाल पर मैं किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं कर सकता था। मेरी राय में उन पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए जो पुरुषों पर न लगाया गया है।'' यदि हम भारतीय नारी के स्वरूप के विषय में बात करें तो यह एक सामाजिक द्वन्द्व के रूप में परिलक्षित होता है। मनु स्मृति का यह चिर परिचित श्लोक– **'यत्र नार्यस्तु पूज्यते, रमन्ते तत्र देवता।'**

इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि प्राचीन काल से ही जहाँ एक ओर हमारे विभिन्न धर्मग्रन्थ मत एवं आध्यात्मिक स्रोत, नारी को शक्ति एवं पूजनीय के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, तो वही एक सत्य यह भी है कि हमारा इतिहास एवम वर्तमान समाज क्रूर शोषण, आडम्बरपूर्ण भेदभाव, भिन्न–भिन्न नैतिक व अनैतिक बन्धन एवम आर्थिक पराधीनता का उदाहरण भी प्रस्तुत

Received: 14.10.2018 **Accepted:** 22.10.2018 **Published**: 25.10.2018

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 01, Issue 01
DOI: 10.46523/jarssc.01.01.15
Multidisciplinary, Open Access

करता है। एक महान राष्ट्र की नींव उसकी व्यवस्था पर निर्भर करता है। कोई भी राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता है, जब तक उस राष्ट्र की सामाजिक प्रगति न हो। सामाजिक प्रगति के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक वर्ग चाहे वह धर्म आधारित हो अथवा वह लिंग आधारित हो, सबकी उपयुक्त सहभागिता होती है। वर्तमान समय में विश्व विज्ञान, तकनीकी, नवीन शोध एवमं स्वतंत्र वातावरण के माध्यम से अपने अस्तित्व का परिमार्जन कर रहा है, यही कारण है कि अब महिलाएँ अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। राजनीति, शिक्षा, खेल, सुरक्षा आदि ऐसे बहुत से क्षेत्र में जिस सभी में महिलाएँ पुरुषों के समकक्ष अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

नारी सशक्तिकरण में नारी जाति की भूत, वर्तमान और भविष्य की रूपरेखा अन्तर्निहित है। प्रश्न यह है कि इस शब्द युगल की उत्पत्ति ही क्यों हुई ? यदि नारी शक्तिपुंज है, तो उसके सशक्तिकरण से क्या अभिप्राय है ? यदि वह पूजनीय होगी तो स्पष्ट है कि वह शक्तिशाली भी है। परन्तु यह अधूरा सत्य है। हमारे सामाजिक व्यवस्था के दोहरे चरित्र का ठोस प्रमाण।

पूजनीय देवी होकर भी स्त्री घर में तिरस्कृत है, शक्ति स्रोत समाज में रहकर भी वह समाज से शोषित है। वरदायिनी स्वयं दूसरों पर आश्रित है। ममता बांटने वाली स्वयं हिंसा व क्रूरता से त्रस्त है, ज्ञानदायिनी स्वयं घरेलू एवं सामाजिक स्तर पर शैक्षिक भेदभाव की शिकार है। धर्म, प्रतिष्ठित, वेदपूजित एवं देवलोकवासिनी देवी पृथ्वी लोक में अपमानित, अबला, अज्ञानी, एवम स्वयं के अस्तित्व के लिए सदैव संघर्षरत है। समय के साथ विचारधाराएँ जन्म लेती हैं। इन विचारधारा का अस्तित्व उनकी समयानुकूल प्रासंगिकता पर निर्भर करता है। नारी की उपरोक्त परिस्थितियाँ हमारे सामाजिक व्यवस्था, देशकाल के तत्कालीन राजनैतिक वातावरण एवं शैक्षिक वातावरण में व्याप्त रूढ़िवादिता, संकीर्ण मानसिकता एवं नारी द्वारा स्वयं

Received: 14.10.2018 **Accepted:** 22.10.2018 **Published**: 25.10.2018

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 01, Issue 01
DOI: 10.46523/jarssc.01.01.15
Multidisciplinary, Open Access

के आत्मविश्वास के क्षय के कारण उत्पन्न हुई हमारा इतिहास विदुषी, साहसी एवं पराक्रमी महान महिलाओं के उदाहरण से भरा पड़ा है।

यदि हम महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की बात करें तो वह वर्तमान समय की ही समस्या नहीं है, वरन यह प्राचीन काल से चली आ रही एक गंभीर समस्या है। वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा के समान अवसर मिलते थे। उन्हें प्रत्येक कला में निपुण किया जाता था। परन्तु वही मुस्लिम काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गयी मुगल काल के प्रारम्भ में महिलाओं के शोषण एवं उन पर विभिन्न प्रकार के क्रूर अत्याचार का आरम्भ हुआ। लगभग एक शताब्दी तक समान स्थिति व्याप्त रही। यही कारण रहा कि धीरे–धीरे समाज में नारी का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त होने लगा। नारी के शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं पर रोक लगा तथा नारी की सामाजिक सहभागिता न्यूनतम होती गयी। समयान्तराल में स्त्री वर्ग अपनी सुरक्षा जीवन यापन बौद्धिक एवं मानसिक सम्बलता के लिए पुरुष पर आश्रित होती है। नारी का स्वतंत्र अस्तित्व घरेलू तथा सामाजिक स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाता है। नारी का तात्पर्य घर के अन्दर रहकर विभिन्न घरेलू जिम्मेदारी के निर्वहन करने मात्र से है। जननी स्वयं ही आत्महीन हो रही थी। कालान्तर में उस पर होनेवाली क्रूरता घरेलू चौखट के अन्दर तक पहुँच गयी है। अपने आसपास के वातावरण में व्यापत नारी घर के अन्दर भी हिंसा, क्रूरताएवं भेदभाव के दानव से त्रस्त होने के लिए अभिशाप्त है अथवा होती आ रही है।

एक स्त्री जो अशिक्षित, तिरस्कृत एवं रुग्ण जीवन व्यतीत कर रही है, वह अपने चारों ओर फैले वीभत्स, क्रूर एवं विभिन्न अत्याचारें से स्वयं को मुक्त करने हेतु छटपटा रही है। ''कष्ट की प्रासंगिक सीमा असहनीय प्रतीत होती है। परन्तु अधिकतम सीमा स्वयं ही सहनशक्ति विकसित कर देती है।'' स्त्री समाज में संभवतः सभी प्रतिकूल परिस्थितियों को अपनी नियति मान सब कुछ स्वीकार कर लिया था। परन्तु अप्रासंगिक परिस्थितियाँ न तो प्रकृति, न तो जीवन और न ही समाज में अपना अस्तित्व अधिक समय तक बनाये रख पाती हैं। समय चक्र परिवर्तित हुआ और भारत में ब्रिटिश शासन लागू हो गया। वीरांगना लक्ष्मीबाई,

Received: 14.10.2018 **Accepted:** 22.10.2018 **Published**: 25.10.2018

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 01, Issue 01
DOI: 10.46523/jarssc.01.01.15
Multidisciplinary, Open Access

बेगम हजरत महल, कस्तूरबा गांधी, महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, आदि बहुतायत महान विभूतियों ने नारी शक्ति का आह्वान किया। यह एक अभिनव प्रसंग था। हमारी परतंत्रता ने नारी स्वतंत्रता के बीज बो दिये, नारी मुख्य धारा में प्रवेश कर रही थी। स्वतंत्रता संग्राम में नारी के अन्तर्मन में संघर्ष करने की शक्ति प्रदान की। नारी ने प्रतिकूल परिस्थितियों के समक्ष समर्पण करना नहीं अपित उसका यथासंभव प्रतिरोध करना सीखा और यही से नारी सशक्तिकरण के अध्याय का प्रारम्भ हुआ।

सुझाव–

शिक्षा के द्वारा स्त्रियों का सशक्तिकरण होना संभव है।

- पांचवी कक्षा तक कौशलों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- माध्यमिक स्तर पर लड़कियों को निम्नांकित विषयों को चुनने देना चाहिए।
- एक अलग निदेशालय की स्थापना हो जिसका कार्य स्त्रियें के लिए उपयोगी पाठ्यक्रमों का आयोजन, प्रबन्धन मूल्यांकन करना और उपयुक्त डिप्लोमा प्रदान करना होना चाहिए।
- स्त्रियों की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले कालेज होने चाहिए। राज्य में स्त्रियों की व्यवसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रोफेशनल कालेजों का विस्तार करना चाहिए।
- प्रत्येक राज्य में एक अलग Women's University स्थापित की जानी चाहिए।
- शिक्षा के सभी स्तरों पर Non formal Training Course को शुरू किया जाना चाहिए।
- एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस और कैरियर इन्फारमेशन सेल स्थापित होने चाहिए।

Received: 14.10.2018 **Accepted:** 22.10.2018 **Published**: 25.10.2018

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 01, Issue 01
DOI: 10.46523/jarssc.01.01.15
Multidisciplinary, Open Access

- स्त्रियों से संबंधित सूचना Gender Related Information प्रदान करने के लिए केन्द्र स्थापित किये जायें।
- शारीरिक विकलांगता से ग्रस्त स्त्रियों के लिए Vocational Rehabilitation Program में होने चाहिए।
- स्त्री कैदियों के लिए Self-Learning पैकेज विकसित किये जाने चाहिए।
- शिशु शिक्षा (विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में) के न्यूनतम स्तर के अधिगम (Minimum levels of Learning) के पैकेज पाठ्यक्रम तैयार किये जाने चाहिए।
- DPEP (District Primary Education Project) के अनुसार– ग्रामीण क्षेों में बाल शिक्षा की योजना को लागू करना चाहिए।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को Skill training, Personality development Communication skills Management skill और Information story systems की जानकारी प्राप्त करना।
- उन्हें विदेशों में शिशु शलाओं की विविध पद्धतियों को देखने भेजा जाना चाहिए।
- म्यूनिसिपिल, कारपोरेशन की स्कूलों में की एक सर्वांगीण योजना बनायी जानी चाहिए।
- चलती फिरती (मोबाइल) लाइब्रेरियाँ बांटने की व्यवस्था घुमन्तू श्रमिकों के लिए होनी चाहिए।
- +1 तथा +2 स्तरों पर व्यावसायिक शिक्षा को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।
- शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रवेश करते समय स्त्रियों के साथ किये जा रहे भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए।
- पाठ्य पुस्तकों में से उन सभी अंशों को छांटना चाहिए जिनमें स्त्रियों के प्रति भेदभाव दर्शाया गया है।
- सभी स्तरों पर अंग्रेजी का विकास किया जाना और उसे पढ़ाया जाना चाहिए।

Received: 14.10.2018 **Accepted:** 22.10.2018 **Published**: 25.10.2018

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 01, Issue 01
DOI: 10.46523/jarssc.01.01.15
Multidisciplinary, Open Access

- विभिन्न राज्यों में विभिन्न क्षेत्रों में जो स्त्रियाँ सशक्त बनी हैं, उनकी सफलता की कहानियाँ प्रकाशित होना चाहिए जिससे अन्य महिलाओं को प्रेरणा मिले।

यह याद रखना चाहिये कि– शिक्षा वह शक्तिशाली इंजन है, जो स्त्रियों को विकास कार्यक्रम में भाग लेने में समर्थ, प्रतियोगी और उत्पादक बनाता है।

Education is a power engine to enable women participate in development programmes and be competitive and productive.

(Usha Ram Kumar)

सुप्रसिद्ध प्रशासक 'आबिद हुसैन' ने भारतीय स्त्रियों के सशक्तिकरण के लिए तीन महत्वपूर्ण सुझाव 16 सितम्बर 2005 में नई दिल्ली में आयोजित की विचार गोष्ठी में दिये हैं–

1. स्त्रियों को सम्पत्ति रखने का अधिकार (Right of Property) दिया है जो उनके सशक्तिकरण में बहुत सहायक है। इसे प्रभावशाली ढंग से एक वास्तविकता बनाना चाहिए सभी महिलाओं को इसके बारे में जागरूक करना चाहिए।
2. डॉ0 सरायू रूहेला द्वारा सम्पादित पुस्तक 'Understanding the Indian Women today Problems and challenges' 1999 में ऐसे कई लेख है। जिनमें भारतीय स्त्रियों के सशक्तिकरण के विषय में महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। इस विषय से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण कथन अत्यन्त प्रेरणादायक और मार्गदर्शक है–

   Education must be illuminated and re-illuminated in the light of the Soul ..... The new community of girls and women in India must be a communit of light. The light know no distinction or creed or community.
3. घरेलू हिंसा (Domestic Violence) को रोकने क लिए हाल ही में कानून बनाया गया है, उसकी जानकारी सभी स्त्रियों को दी जाये।

Received: 14.10.2018 **Accepted:** 22.10.2018 **Published**: 25.10.2018

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC) **ISSN:** 2582-2004
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre Volume 01, Issue 01
DOI: 10.46523/jarssc.01.01.15
Multidisciplinary, Open Access

'पढ़ें बेटियाँ, बढ़ें बेटियाँ,' योजना के तहत सूबे में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की हाईस्कूल उत्तीर्ण छात्राओं को आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए 30,000 रु0 एकमुश्त दिये जायेंगे। यह लाभ सामान्य, अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति सभी वर्ग की छात्राआं को मिल सकेगा।

निष्कर्ष रूप में ये स्पष्टतः कहा जा सकता है कि महिला सशक्तिकरण से महिलाओं के खिलाफ हो रहे जो भी जुर्म या दुर्व्यवहार हो रहे हैं वो कम होंगे। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति बेहतर जानकारी मिल जाने से उन्हें एक ऐसी शक्ति मिलेगी जिससे वह अपने खिलाफ हो रहे जो भी अपराध है उनसे लड़ने के लिए शक्ति मिलेगी। 'राष्ट्रीय महिला आयोग' अपने जनादेश के अनुरूप महिलाओं के कानूनी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त कर ने और उनके सशक्तिकरण के लिये वचनबद्ध है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ0 अशुमान तिवारी, समसमायिक निबन्धन राजेन्द्रा पब्लिकेशन, (2015–16), पृ0 222–235।
2. अजय कुमार सिंह, महिला सशक्तिकरण की नयी परिभाषाएँ योजना, जून 2012।
3. डॉ0 रामशकल पाण्डेय, उदीपयमन भारतीय समाज में शिक्षक, अग्रवाल पब्लिकेशन (2015–2016), तृतीय संस्करण, पृ0 687
4. पूनम मदान एवं गुरसरनदास त्यागी, समसामयिक भारत में शिक्षा, अग्रवाल पब्लिकेशन्स (2015–2016), प्रथम संस्करण, पृ0 178।
5. प्रो0 सत्यपालन रूहेला एवं राजकुमार नायक, भारतीय समाज में शिक्षक, अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा, पृ0 ं0 225, 286, 287, 288।
6. डॉ0 गोपी जोशी, भारत में स्त्री असमानता एक विमर्श, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2006, प्रथम संस्करण।

Received: 14.10.2018 **Accepted:** 22.10.2018 **Published**: 25.10.2018

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.

Journal of Advance Research in Science and Social Science (JARSSC)
Official Publication of Indian Mental Health & Research Centre
ISSN: 2582-2004
Volume 01, Issue 01
DOI: 10.46523/jarssc.01.01.15
Multidisciplinary, Open Access

7. राधा कुमार, स्त्री संघर्ष का इतिहास, 1880–1900, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002।
8. चेतन मेहता, महिला एवं कानून आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1998।
9. ममता शर्मा, राष्ट्रीय महिला आयोग, सशक्तिकरण के 20 वर्ष, योजना, जून 2012, पृ0 सं0 16–17।
10. अजय कुमार सिंह, राजनीति में महिला नेतृत्व : महिला सशक्तिकरण की नयी परिभाषा, योजना, जून–2012, पृ0 सं0 48।

Received: 14.10.2018 **Accepted:** 22.10.2018 **Published**: 25.10.2018

This work is licensed and distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any Medium, provided the original work is properly cited.